I/3075200/2023

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2023/TG-I/20/STBA Commission **New Delhi, dated 18.08.2023**

Principal Chief Commercial Mangers,
All Zonal Railways.

GM/UTS, CRIS,
Chanakyapuri, New Delhi

(Commercial Circular No. 16 of 2023)

(Corrigendum to CC no. 04 of 2022)

Sub: Quoting of commission by Station Ticket Booking Agent (STBA).
Ref: Commercial Circulars no. 04 of 2022

STBA scheme was last revised vide CC no. 04 of 2022. In terms of Para (vii) of the said instructions, candidate(s) who opts for the least commission in Slab 3 are to be appointed as STBA.

1.1 Based on a reference received from one of the Zonal Railways, the matter has been examined in Board's office. After careful consideration, Competent Authority has now decided that while inviting applications for engaging STBA, a clause shall invariably be inserted in the bid document clearly stating that in case an applicant quotes sub-zero commission in Slab-3, his application would be summarily rejected.

1.2 Adequate safety mechanism like proper accountal of ticket stationery, periodical checks by Commercial and Accounts staff etc. shall also be enforced in letter and spirit. This apart, all accounting procedures including remittance of cash by STBAs on the same day shall also be strictly adhered to as per extant codal provisions and instructions.

1.3 Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

1.4 CRIS shall make requisite changes in the software.

2. This issues in consultation with Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(This disposes off S.E. Railway's letter No. GM/6/STBAs/operation dated 21.04.2023)

Signed by Sanjay Manocha
Date: 18-08-2023 15:53:01

(Sanjay Manocha)
Director Passenger Marketing-II
Ph. No.:011-23047367
Email id: manocha.421sanjay@gov.in
4th Floor, Room No: 415-A
Railway Board

Copy to: i. Dy. Comptroller & Auditor General (Railways), New Delhi.
ii. PFA, All Zonal Railways.
iii. Director General of Audit, All Zonal Railways.

Signed by Naresh Chand Jain
Date: 18-08-2023 15:57:04
Reason: Approved

For Member Finance, Railway Board.

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

सं.2023/टीजी-I/20/एसटीबीए कमीशन

नई दिल्ली, दिनांक 18.08.2023

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

(2023 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 16)
(2022 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 04 का शुद्धि पत्र)

विषय: स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (एसटीबीए) द्वारा कमीशन कोट करना।

संदर्भ: 2022 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 04

एसटीबीए योजना अंतिम बार 2022 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 04 के तहत संशोधित की गई थी। उक्त अनुदेशों के पैरा (vii) के अनुसार, वे अभ्यर्थी जो स्लैब 3 में न्यूनतम कमीशन का चयन करते हैं, उन्हें एसटीबीए के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

1.1 एक क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त संदर्भ के आधार पर, बोर्ड कार्यालय में मामले की जांच की गई है। सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि एसटीबीए नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय, बोली दस्तावेज़ में एक खंड को निरपवाद रूप से शामिल किया जाए जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया हो कि यदि कोई आवेदक स्लैब 3 में सब-ज़ीरो कमीशन कोट करता है, तो उसका आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

1.2 टिकट स्टेशनरी का उचित लेखांकन, वाणिज्य एवं लेखा कर्मचारियों द्वारा आवधिक जांच आदि जैसे पर्याप्त संरक्षा तंत्र भी अक्षरश: लागू किए जाएंगे। इसके अलावा, एसटीबीए द्वारा उसी दिन नकदी का प्रेषण सहित सभी लेखा प्रक्रियाओं का मौजूदा संहिता के प्रावधानों तथा अनुदेशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।

1.3 तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

1.4 क्रिस सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(यह द.पू. रेलवे के दिनांक 21.04.2023 के पत्र सं. जीएम/6/एसटीबीए/ऑपरेशन का निपटान करता है।)

संजय मनोचा
निदेशक यात्री विपणन-II
दूरभाष : 011-23047367
ईमेल - manocha.421sanjay@gov.in
चौथी मंजिल, कमरा सं. 415-ए
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित: i. उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), नई दिल्ली।

ii. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें।

iii. महानिदेशक लेखापरीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते सदस्य वित्त।